

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :- सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
208/2012	21.08.2012	05.12.2019

उनवान

- 1 समरसिंह उम्र 60 साल
- 2 रणजीत सिंह उम्र 57 साल
- 3 रमेशचन्द उम्र 55 साल
- 4 अशोक कुमार उम्र 49 साल
- 5 कृष्ण कुमार उम्र 44 साल पुत्रान बोदन जातियान अहीर निवासीयान खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. मदनलाल उम्र 40 साल
2. संदीप उम्र 34 साल पुत्रान जगदीश प्रसाद
3. सुरेन्द्र उम्र 32 साल
4. योगेन्द्र उम्र 28 साल
5. छीपक उम्र 26 साल पुत्रान हनुमान
6. शान्ति पुत्री छाजुराम उम्र 60 साल
7. राकेश पुत्र ओमप्रकाश उम्र 62 साल
8. ब्रहमादेवी बेवा जीतसिंह उम्र 24 साल
9. नवीन पुत्र जीतसिंह उम्र 24 साल
10. सावत्री देवी बेवा जीतसिंह उम्र 56 साल
11. शम्भुराम पुत्र हेतराम उम्र 62 साल जातियान अहीर निवासीयान खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा 53 राज0 कास्त0 अधि0


—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री हंसराज यादव एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री विक्रम सिंह यादव एडवोकट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.12.2019 को श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है:-

“ वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी हाल ख0 नं0 998/0.13 है0, 1163/0.69 है0, 1164/0.54 है0, 1165/0.57 है0, 1166/1.87 है0, 636/0.51 है0, 637/0.50 है0, 638/1.52 है0, 635/0.50 है0, 819/0.14 है0, 820/0.14 है0, 821/0.14 है0, 818/0.40 है0, 388/0.16 है0, 389/0.18 है0, 289/0.82 है0, 379/0.51 है0, 482/0.29 है0, 575/0.48 है0, 800/0.24 है0, 801/0.26 है0, 802/0.27 है0, 841/0.55 है0, 995/0.08 है0, 999/0.15 है0, 1162/0.24 है0, 159/0.71 है0, 179/0.29 है0, 341/0.19 है0, 259/0.35 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव प्रदर्श “अ” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल,

तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काशत/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान अनुपातिक कायम करे।”

आज तारीख 05.12.2019 को यह अन्तिम पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सुनिता यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर रा.रा.७

